भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 373

04 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः- किसानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के उत्थान के लिए योजना

373. श्री बृजेन्द्र सिंह ओलाः

डॉ. नामदेव किरसानः

श्री बिद्युत बरन महतोः

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में किसानों के सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए योजनाएं कार्यान्वित कर रही है और यदि हां, तो झारखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा राजस्थान के झुंझुनू जिले में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं सहित तत्संबंधी राज्यवार तथा जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं के लिए वर्षवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) उक्त योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या कितनी है;

(घ) सरकार द्वारा गत दस वर्षों के दौरान किसानों के लिए क्रियान्वित किए गए कल्याण कार्यों का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में सुधार के लिए इन योजनाओं की समीक्षा करने हेतु किए जा रहे प्रयासों का व्यौरा क्या है;

(च) सरकार द्वारा देश में कृषि क्षेत्र में संकट से निपटने तथा संकटग्रस्त किसानों के लिए कौन मी योजना कार्यान्वित की जा रही हैं;

(छ) सरकार द्वारा देश में विशेष रूप से झारखंड में फसल सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ज) दिल्ली के किसानों को योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है; और

(झ) सरकार की दिल्ली के किसानों को उक्त योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए क्या योजना है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (छ): भारत सरकार कृषि क्षेत्र की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के साथ-साथ किसानों के हितों और सामाजिक-आर्थिक उत्थान को ध्यान में रखते हुए योजनाओं और कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला को कार्यान्वित कर रही है। ये योजनाएं और कार्यक्रम झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू हैं और इनमें ऋण, बीमा, आय सहायता, इंफ्रास्ट्रक्चर, बागवानी सहित फसलें, बीज, मशीनीकरण, विपणन, जैविक और प्राकृतिक खेती, किसान समूह, सिंचाई, विस्तार, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से फसलों की खरीद, डिजिटल कृषि आदि सहित कृषि का पूरा स्पेक्ट्रम शामिल है। केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं के मामले में, आवंटन राज्यवार नहीं, बल्कि परियोजना या पात्रता आधारित होता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 से, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय प्रत्येक राज्य के लिए वार्षिक कार्य योजना (एएपी) पर चर्चा करता है। चर्चाओं में प्राथमिकताओं और क्षेत्रीय/राज्य आवश्यकताओं सहित कई मुद्दे शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त, चूंकि कृषि राज्य का विषय है, इसलिए धनराशि की शीघ्र स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मंजूरी समिति (एसएलएससी) को इसमें संशोधन का कार्य सौंपा जाता है। इसके अलावा, धनराशि जारी करना संबंधित राज्यों द्वारा राशि के उपयोग की गति पर निर्भर करता है। राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों का विवरण रखा जाता है।

केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के मामले में भी समय पर राशि जारी करने सहित इसी प्रकार की प्रक्रिया लागू की जाती है, जिसमें व्यय विभाग द्वारा केन्द्रीय क्षेत्रक योजनाओं के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्य के हिस्से की आवश्यकता नहीं होती है।

विभाग समय-समय पर विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए बजट के लेखों की नियमित निगरानी करता है, ताकि निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके, साथ ही योजना और कार्यक्रमों के अंतर्गत इच्छित परिणाम, लाभ या उद्देश्य प्राप्त किए जा सकें।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) द्वारा कार्यान्वित की जा रही केंद्रीय क्षेत्रक और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की सूची **अनुबंध-I** पर दी गई है। चूंकि, वर्ष 2022-23 के लिए योजनाओं का युक्तिकरण किया गया है, इसलिए वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक डीएएंडएफडब्ल्यू द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के तहत आवंटित राशि का विवरण **अनुबंध-II** पर और वर्ष 2022-23 से 2023-24 तक का विवरण अनुबंध-III पर दिया गया है।

(ज) और (झ): दिल्ली के किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है क्योंकि दिल्ली सरकार ने वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) द्वारा कार्यान्वित की जा रही केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं का लाभ उठाने के लिए वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत नहीं की है। दिनांक 3 जनवरी, 2025 को डीए एंड एफडब्ल्यू ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र से वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है ताकि किसानों को योजनाओं का लाभ मिल सके।

I. केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
2. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
3. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
4. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
5. संशोधित ब्याज छूट योजना (एमआईएसएस)
6. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम)
7. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)
8. 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन
9. स्टार्ट अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि निधि (एग्रीश्योर)
10. नमो ड्रोन दीदी

II. केंद्रीय प्रायोजित योजना

(क) राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)

(ख) कृषोन्नति योजना

1. एकीकृत कृषि विपणन योजना -राष्ट्रीय कृषि बाजार (आईएसएएम-ईएनएएम)
2. एकीकृत कृषि विपणन योजना -अन्य (आईएसएएम-अन्य)
3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
4. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एन.एम.ई.ओ.)- तिलहन
5. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एन.एम.ई.ओ.)- ऑयल पाम
6. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
7. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर)
8. कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
9. डिजिटल कृषि

(ग) **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)**

1. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- डीपीआर (आरकेवीवाई-डीपीआर)
2. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
3. प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)
4. मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता
5. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)
6. कृषि वानिकी
7. कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)
8. फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम)
9. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)

अनुबंध-II

विगत पांच वर्षों में अर्थात वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के अंतर्गत आवंटित राशि का विवरण

अनुदान संख्या 1-कृषि एवं किसान कल्याण विभाग				
				(रुपए करोड़ में)
क्र. सं.	**मिशन/योजना का नाम**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
कुल- कुल योग- अनुदान संख्या 1 (योजना + गैर-योजना)		**101904.00**	**116757.92**	**118294.24**
I- केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं/परियोजनाएं				
1	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना -एनसीआईपी	13640.85	19831.75	15989.39
2	किसानों को अल्पावधि ऋण पर ब्याज सब्सिडी	17863.43	15306.55	18142.30
3	बाजार हस्तक्षेप योजना/मूल्य समर्थन योजना (एमआईएस/पीएसएस) का कार्यान्वयन	2010.20	996.00	3595.61
4	प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)	321.00	300.00	1.00
5	कल्याणकारी योजनाओं के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेशों को दलहन का वितरण	370.00	620.00	50.00
6	फसल अवशेषों के यथास्थान प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना	594.29	600.00	700.00
7	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)	54370.15	65000.00	67500.00
8	प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना	200.00	50.00	0.50
9	किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन	0.00	250.00	250.00
10	एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड	0.00	208.00	200.00
कुल- केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं/परियोजनाएं		**89369.92**	**103162.30**	**106428.80**
II - केंद्रीय प्रायोजित योजनाएँ				
1	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना -प्रति बूंद अधिक फसल (पीएमकेएसवाई)	2032.20	2563.20	2000.00
2	**हरित क्रांति**			
2.1	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	2760.00	2551.21	2000.00
2.2	**कृषोन्नति योजना**			
2.2.1	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	1776.90	1863.97	1540.00
2.2.2.1	तिलहन और ऑयलपाम प्रौद्योगिकी मिशन	0.00	0.00	100.00
2.2.2	राष्ट्रीय जैविक खेती संवर्धन परियोजना	2.00	11.50	6.00

2.2.3	पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास	160.00	175.00	174.81
2.2.4	राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन परियोजना	155.85	222.70	100.00
2.2.5	राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (आरएडीपी और जलवायु परिवर्तन)	146.06	145.00	110.00
2.2.6	परम्परागत कृषि विकास योजना	299.36	350.00	100.00
2.2.7	राष्ट्रीय कृषि वानिकी परियोजना	28.00	29.00	20.00
2.2.8	एनबीएचएम सहित एकीकृत बागवानी विकास मिशन	1583.50	1609.75	1594.00
2.2.9	बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन	300.00	324.80	310.00
2.2.10	पौध संरक्षण एवं पौध संगरोध उप-मिशन	34.00	46.15	31.00
2.2.11	कृषि विस्तार उप-मिशन	940.00	940.00	924.00
2.2.12	सूचना प्रौद्योगिकी	31.13	45.00	55.19
2.2.13	कृषि मशीनीकरण उप-मिशन	1015.00	1022.00	850.00
2.2.14	एकीकृत कृषि संगणना और सांख्यिकी योजना	175.00	343.42	267.00
2.2.15	एकीकृत कृषि सहकारिता योजना	140.00	350.00	373.00
2.2.16	एकीकृत कृषि विपणन योजना	331.10	350.00	264.20
2.2.17	राष्ट्रीय बांस मिशन	87.00	94.00	70.00
कुल- कृषोन्नति योजना		**7204.90**	**7922.29**	**6889.20**
कुल- योजना		**101367.02**	**116199.00**	**117318.00**
1	स्थापना और अन्य केंद्रीय क्षेत्र व्यय	536.98	558.92	976.24
कुल- कुल योग- अनुदान संख्या 1 (योजना + गैर-योजना)		**101904.00**	**116757.92**	**118294.24**

अनुबंध-III

अनुदान संख्या 1-कृषि एवं किसान कल्याण विभाग			
			(रुपए करोड़ में)
क्र. सं.	**मिशन/योजना का नाम**	**संशोधित बजट 2022-23**	**संशोधित बजट 2023-24**
I- केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं/परियोजनाएं			
1	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना -एनसीआईपी	12375.76	15000
2	संशोधित ब्याज अनुदान	22000.00	18500
3	बाजार हस्तक्षेप योजना/मूल्य समर्थन योजना (एमआईएस/पीएसएस) का कार्यान्वयन	1500.00	40
4	**प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (**पीएम-आशा**)**	0.00	2200
5	कल्याणकारी योजनाओं के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेशों को दलहन का वितरण	166.21	446.3
6	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)	60000.00	60000
7	प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना	50.00	138
8	किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन	955.00	450
9	एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड	150.00	600
10	राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन शहद मिशन (एनबीएचएम)	100.00	50
कुल- केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं/परियोजनाएं		**97296.97**	**97424.30**
II - केंद्रीय प्रायोजित योजनाएँ			
1	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	7000.00	6150.35
	राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन		100
2	**कृषोन्नति योजना**		
2.1	राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मिशन	900.00	1442
2.2	राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- ऑयलपाम	700.00	525
2.3	राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- तिलहन	500.00	425
2.4	पूर्वोततर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास	130.00	238
2.5	एकीकृत बागवानी विकास	1100.00	1508.47
2.6	बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन	250.00	
2.7	कृषि विस्तार	800.00	880
2.8	डिजिटल कृषि	70.00	200
2.9	कृषि संगणना और सांख्यिकी	300.00	
2.10	कृषि विपणन	250.00	1160
कुल- कृषोन्नति योजना		**5000.00**	**6378.47**
कुल- केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं		**12000.00**	**12628.82**
	कृषि अवसंरचना एवं विकास निधि में अतिरिक्त हस्तांतरण		**5000.00**
कुल-	**योजना**	**109296.97**	**115053.12**
योजना - अनुदान संख्या 1		**109296.97**	**115053.12**
स्थापना एवं अन्य केन्द्रीय क्षेत्रक व्यय			
1	स्थापना और अन्य केंद्रीय क्षेत्र व्यय	957.56	1735.84
कुल- कुल योग- अनुदान संख्या 1 (योजना + गैर-योजना)		**110254.53**	**116788.96**

*****